

**संचालक मण्डल**

क्र०		
1.	मंत्री, जनशक्ति नियोजन (वर्तमान में तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग)	अध्यक्ष
2.	जनशक्ति नियोजन विभाग (वर्तमान में तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग) के भारसाधक प्रमुख सचिव/सचिव	सदस्य
3.	संचालक, तकनीकी शिक्षा, मध्य प्रदेश	सदस्य
4.	संबंधित विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि जो उपकुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाये	सदस्य
5.	राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित उद्योगों का प्रतिनिधि	सदस्य
6.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का प्रतिनिधि	सदस्य
7.	प्राचार्य द्वारा चकानुकम से ज्येष्ठता के आधार पर नाम निर्देशित शिक्षकों के दो प्रतिनिधि	सदस्य
8.	साधारण सभा के सभापति (चेयरमेन) द्वारा नाम निर्देशित साधारण सभा (जनरल बाडी) के दो प्रतिनिधि	सदस्य
9.	राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित दान-दाताओं का एक प्रतिनिधि	सदस्य
10.	जिलाध्यक्ष के प्रतिनिधि (प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र क्रमांक 1391/137/06/42-1 दिनांक 7.7.06 के अनुसार)	सदस्य
11.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि	सदस्य
12.	महाविद्यालय का प्राचार्य	सदस्य सचिव

**साधारण सभा**

क्र०		
1.	मंत्री, जनशक्ति नियोजन (वर्तमान में तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग)	अध्यक्ष
2.	जनशक्ति नियोजन विभाग (वर्तमान में तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग) के भारसाधक प्रमुख सचिव/सचिव	सदस्य
3.	एक संसद सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाये	
4.	एक विधायक जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाये	सदस्य
5.	संबंधित विश्वविद्यालय का कुलपति या उनका नाम निर्दिष्ट प्राधिकारी जो विभागाध्यक्ष स्तर से निम्न पद श्रेणी का न हो	सदस्य
6.	स्थानीय सार्वजनिक उपक्रम के चेयरमेन (सभापति)/मेनेजिंग डायरेक्टर (प्रबंध संचालक)/प्रमुख	सदस्य
7.	संचालक, तकनीकी शिक्षा, मध्य प्रदेश	सदस्य
8.	दो उद्योगपति, शिक्षाविद जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायें	सदस्य
9.	वे सभी व्यक्ति जिन्होंने संबंधित संस्था को दो लाख रुपये या उससे अधिक का दान दिया हो	
10.	सामान्य परिषद के सभापति (चेयरमेन) द्वारा पालकों का नाम निर्देशित एक प्रतिनिधि	
11.	महाविद्यालय का प्राचार्य	सदस्य सचिव